

178-11/2014 F.No. 178/9/2014-(ITA.1)

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II,  
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF FINANCE**  
**Department of Revenue**  
[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

**Notification**

New Delhi, dated the 13<sup>th</sup> February, 2014

S.O. (E) In exercise of the powers conferred by item (h) of sub-clause (iv) of clause (15) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), vide number S.O. 2424(E) dated the 8<sup>th</sup> of August, 2013, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- i) serial number 3 and the entries relating thereto shall be omitted;
- ii) for the serial numbers 7, 8 and 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"7.	Rural Electrification Corporation Limited (REC)	6000
8.	National Housing Bank (NHB)	4000
13.	NTPC Limited (formerly known as National Thermal Power Corporation)	2250"

[Notification No.../2014 F.No.178/9/2014-(ITA.1)]

(Surabhi Sharma)

Under Secretary to the Govt. of India

To

The Manager  
Govt. of India Press  
Mayapuri  
New Delhi-110064.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग  
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी, 2014

का.आ. (अ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 2424(अ), दिनांक 8 अगस्त, 2013 में, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में-

- i) क्रम सं. 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का विलोप किया जाएगा;
- ii) क्रम सं. 7, 8 एवं 13 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

(1)	(2)	(3)
"7.	रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरईसी)	6000
8.	नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी)	4000
13	एनटीपीसी लिमिटेड (पूर्व में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के रूप में ज्ञात)	2250"

[अधिसूचना सं. 1/2014 फा.सं. 178/9/2014-(आकनि-1)]

सुरभि शर्मा

(सुरभि शर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी,

नई दिल्ली-110064